जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नूरपुर **दिनांक 06.05.2025**

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 158/2025 धारा 281/105/125 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त ट्रक सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 06.05.2025 को वादी नरेश कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह नि0 ग्राम रतनगढ थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी दिनांक 05.05.2025 को वादी अपने परिवारजन,रिश्तेदार व गांव के लोगो के साथ फार्मा ट्रैक्टर मय टिपलर के साथ रिश्तेदार की शादी में ग्राम रतनगढ जा रहे थे। मुरादाबाद नूरपुर हाईवे पर के पास ट्रक चालक नवी अहमद पुत्र सफी अहमद नि0 मौ0 साहुकारा कस्बा व थाना बिलासपुर जनपद रामपुर द्वारा ट्रक को तेजी व लापरवाही चलाकर फार्मा ट्रैक्टर टिपलर मे पीछे से टक्कर मार दी , जिससे टिपलर में बैठे व्यक्ति व बच्चे सडक पर गिर गये व ट्रक चालक नवी अहमद द्वारा ट्रक को जानबूझकर ऊन पर चढा दिया, जिससे 1. डोली (उम्र करीब 17 वर्ष) पुत्री नरेश उर्फ सुखू 2.अनन्या (उम्र करीब 05 वर्ष) पुत्री मोहित 3.वंशिका (उम्र करीब 05 वर्ष) पुत्री कोमल वर्ष नि0गण रतनगढ थाना शिवाला कंला जनपद बिजनौर गम्भीर रुप से घायल हो गयी , जिनको इलाज के दौरान चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया 16 अन्य व्यक्ति घायल हो गए। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0स0 158/2025 धारा 281/105/125 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नवी अहमद पुत्र सफी अहमद नि0 मौ0 साहुकारा कस्बा व थाना बिलासपुर जनपद रामपुर को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त ट्रक को पुलिस कब्जे मे लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नवी अहमद पुत्र सफी अहमद नि0 मौ0 साहुकारा कस्बा व थाना बिलासपुर जनपद रामपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री देवी प्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2.का0 1806 कुलदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

3.का0 1893 अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–जनपद बिजनौर दिनॉक 06.05.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना बढापुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 354(ख) भादवि, धारा 8 पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 04 वर्ष के कारावास व 35,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 01.09.2020 को वादिया ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त जितेन्द्र सैनी पुत्र अतरपाल सिंह निवासी ग्राम इस्माइलपुर दमी थाना बढापुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ छेडछाड की गई तथा वादिया के परिजनो के साथ मारपीट की गई । प्राप्त तहरीर के आधार थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 226/20 धारा 354(ख)/323 भादवि, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 06.05.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे (पॉक्सो एक्ट), जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र सैनी पुत्र अतरपाल सिंह निवासी ग्राम इस्माइलपुर दमी थाना बढापुर जनपद बिजनौर को धारा 354(ख) भादवि, धारा 8 पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट में 04 वर्ष के कारावास व कुल 35,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट- अर्थदण्ड की कुल धनराशि मे से 30,000/- रूपये की धनराशि पीडिता को प्रतिकर के रूप मे देय होगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

जितेन्द्र सैनी पुत्र अतरपाल सिंह निवासी ग्राम इस्माइलपुर दमी थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 06.05.2025**

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.05.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	शिवालाकलां	दीपकौर पत्नी विपिन कुमार नि0 ग्राम इनायतपुर थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
2	स्योहारा	इकरामुद्दीन पुत्र जमालुद्दीन नि0 मौ0 अलादीनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3	नांगल	धनीराम पुत्र शमी नि0 ढोलापुरी थाना नांगल जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना मण्डावर **दिनांक- 06.05.2025**

थाना मण्डावर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 71/2025 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.04.2025 को वादी ने थाना मण्डावर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.आदित्य पुत्र कोमल सिंह 2.सौरव पुत्र कोमल सिंह नि0गण ग्राम रसूलपुर पितंका उर्फ बवनपुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 3.उदयवीर पुत्र हुक्म सिंह नि0 ग्राम गंधोर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 71/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग मे धारा 87/64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

कार्यवाही विवरण-

थाना मण्डावर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 71/2025 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त आदित्य पुत्र कोमल सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर पितंका उर्फ बवनपुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.आदित्य पुत्र कोमल सिंह नि0गण ग्राम रसूलपुर पितंका उर्फ बवनपुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री राजकुमार सरोज थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह थाना मंडावर जनपद बिजनौर।
3. का0 2375 उपेन्द्र मलिक थाना मंडावर जनपद बिजनौर।